EXTRACT FROM HARYANA GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY DATED THE 10TH JUNE, 2022

हरियाणा सरकार आबकारी तथा कराधान विभाग अधिसूचना

दिनांक 10 जून, 2022

संख्या 29/आ०—1/पं०अ०1/1914/धा० 58/2022.— चूंकि राज्य सरकार आवश्यक समझती है कि नियम तुरन्त लागू होने चाहिए; इसलिए हिरयाणा आबकारी अधिनियम, 1914 (1914 का पंजाब अधिनियम 1), की धारा 58 की उप—धारा (2) तथा (3) के साथ पठित उप—धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिरयाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हिरयाणा रेस्तरां (मिंदरा उपभोग) नियम, 1988, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

- (1) ये नियम हिरयाणा रेस्तरां (मिदरा उपभोग) संशोधन नियम, 2022, कहे जा सकते हैं।
 - (2) ये जून, 2022 के बाहरवें दिन से लागू होंगे।
- 2. हरियाणा रेस्तरां (मदिरा उपभोग) नियम, 1988 में, नियम 5 में, उप–नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थातुः–
 - "(1) इन नियमों के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन, प्ररूप अनु0—52 (शराब खाना) में अनुज्ञप्ति तथा उसमें दी गई शर्तों के अध्यधीन निम्नलिखित फीस संरचना पर दी जा सकता है:—

जिला	निर्धारित फीस प्रति शराब खाना
गुरूग्राम	जोन की अनुज्ञप्ति फीस का 2 प्रतिशत
फरीदाबाद तथा पंचकुला	जोन की अनुज्ञप्ति फीस का 1.50 प्रतिशत
अन्य शेष जिलें	जोन की अनुज्ञप्ति फीस का 1.00 प्रतिशत

शराब खाना चार दिवारी के बिना खुले स्थान में संचालित नहीं किया जाएगा। स्थान गुप्त तथा बन्द होना चाहिए तथा सार्वजिनक मार्ग या चौराहा पर नहीं होगा, जिसका उपयोग जन साधारण के लिए किया जा रहा है। साधारणतः स्थान राहगीर के लिए दृश्य नहीं होगा तथा ऐसे स्थान में पहुंच उचित सीमांकित प्रवेश के द्वारा होनी चाहिए। सम्पूर्ण उद्देश्य, राहगीर के सम्पूर्ण विचार में जन साधारण को शराब पीने से रोकना है। शराब खाना केवल ठेके तथा उसी परिसर में निकटवर्ती स्थान में चलाया जाएगा। शराब खाना का क्षेत्र, शराब खाना के अनुमोदन के समय पर उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी) द्वारा अनुमोदित किया जाएगा तथा अनुज्ञप्तिधारी अनुमोदित क्षेत्र से बाहर अतिक्रमण नहीं करेगा। मदिरा, शराब खाना में किसी रीति में बेची / परोसी नहीं जाएगी।

जनता में हुल्लड़बाज (उपद्रवी) तथा पियक्कड़ व्यवहार को रोकने के उद्देश्य से प्रत्येक खुदरा ठेके में अधिकतम एक शराब खाना सम्बन्धित नगर निगम/परिषद्/समिति की बाहरी सीमा तथा अन्य राज्यों की सीमा (बार्डर) से 5 किलोमीटर के भीतर पड़ने वाले शहरी तथा उप शहरी क्षेत्रों में मिदरा (अनु—14क/अनु—2) के खुदरा ठेकों के साथ आबकारी नीति तथा सम्बन्धित आबकारी नियमों/मादक अनुज्ञप्ति तथा विक्रय आदेश, 1956 के उपबन्धों के अनुसार सही रूप से उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी) द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा। आगे शराब खाना को उन जगहों पर भी अनुमित दी जा सकती है, जहाँ हिरयाणा राज्य बुनियादी ढांचा और औद्योगिक विकास निगम ने औद्योगिक आदर्श नगर क्षेत्र तथा थीम/विशिष्ट पार्क विकसित किए हैं जैसे कि औद्योगिक आदर्श नगर क्षेत्र, मानेसर, औद्योगिक आदर्श नगर—क्षेत्र, बावल, औद्योगिक आदर्श नगर—क्षेत्र, रोहतक, सूचना प्रौद्योगिक पार्क, पंचकूला, इत्यादि।

EXTRACT FROM HARYANA GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY DATED THE 10^{TH} JUNE, 2022

2011 की जनगणना के अनुसार, 10,000 से अधिक आबादी वाले गांवों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों मे भी शराब खाना की अनुमित दी जाएगी। तथापि, ऐसे जोनों में शराब खानें अधिकतम संख्या दो (2) तक अनुमत होंगे। ऐसे मामलों में, प्रत्येक शराब खाना की निर्धारित फीस सम्बन्धित जोन की अनुज्ञप्ति फीस का 0.25 प्रतिशत होगी।

अनुज्ञप्तिधारी से उचित ढांचा तथा फर्नीचर रखना तथा सफाई तथा स्वास्थ्यकर पर्यावरण बनाए रखने की अपेक्षा की जानी है। शराब खाना चलाने वाले अनुज्ञप्तिधारी या उसके प्राधिकृत व्यक्ति, के पास जीएसटी और एफएसएसएआई पंजीकरण होना चाहिए।"।

अनुराग रस्तोगी, अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग।

EXTRACT FROM HARYANA GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY DATED THE 10TH JUNE, 2022

HARYANA GOVERNMENT EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT Notification

The 10th June, 2022

No.29/X-I/P.A.1/1914/S.58/2022— Whereas the State Government considers necessary that the rules should be brought into force at once; so in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with subsections (2) and (3) of section 58 of the Haryana Excise Act, 1914 (Punjab Act 1 of 1914), the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Restaurant (Consumption of Liquor) Rules, 1988, namely:-

- (1) These rules may be called the Haryana Restaurant (Consumption of Liquor) Amendment Rules, 2022.
 (2) They shall come into force with effect from the 12th day of June, 2022.
- 2. In the Haryana Restaurant (Consumption of Liquor) Rules, 1988, in rule 5, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-
 - "(1) Subject to other provisions of these rules, a license in form L-52 (Tavern) and subject to the conditions contained therein may be granted in urban areas on the following fee structure:-

District	Fixed fee per Tavern
Gurugram	2% of license fee of zone
Faridabad and Panchkula	1.50% of license fee of zone
Other remaining districts	1.00% of license fee of zone

The Tavern shall not be operated in an open space without boundary. The space shall to be confined and enclosed and shall not be a thorough fare or a crossing being used by general public. The space shall not be ordinarily visible to the passersby and the access to such a space should be through a well defined entry. The overall objective is to prevent drinking in public in full view of the passersby. Tavern shall only be operated from adjoining place to the vend and in the same premises. The area of Tavern shall be approved by Deputy Excise and Taxation Commissioner (Excise) at the time of approval of the Tavern and licensee shall not encroach beyond the area approved. Liquor shall not be sold or served in any manner in the Tavern.

In order to prevent rowdy and drunken behavior in public, upto a maximum of one Tavern in a retail zone, shall be allowed by the Deputy Excise and Taxation Commissioner (Excise) strictly as per the provisions of the Excise Policy and relevant Excise Rules/Intoxicants License and Sales Orders 1956, with the retail vends of liquor (L-14A/ L-2) in urban areas and sub-urban areas falling within five Kilometers from the outer limit of respective Municipal Corporation/Council/Committees and borders with other States. Further, Tavern may also be allowed in places where Haryana State Infrastructure and Industrial Development Corporation has developed industrial Model Township and theme/specialized parks like IMT Manesar, IMT Bawal, IMT Rohtak, IT Park Manesar, IT Park Panchkula, etc.

The tavern shall also be allowed in rural areas for the villages having population of more than 10,000 as per 2011 Census. However, the maximum number of Taverns to be allowed in such zones shall remain two (02). The fixed fee per Tavern in such cases shall be 0.25% of the licence fee of the concerned zone.

The licensee is required to have proper structure and furniture and to maintain cleanliness and hygienic environment. The licensee or his authorized person running Tavern, shall have GST and FSSAI registration.".

ANURAG RASTOGI,
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Excise and Taxation Department.